# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
**पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.**

**अपील संख्या : 05/2018 शस्त्र अधिनियम्**

अनवानी :– रामचन्द्र पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डा चक 7 एम.डी. ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

**––––– अपीलान्ट**

**–– बनाम ––**

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ जरिये राज.सरकार

**––––– रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :– श्री सुरेश कुमार शर्मा — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

## निर्णय

**दिनांक : 21.08.2018**

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 19.06.2017, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने पिता श्री बीरबलराम पुत्र पीथाराम की हत्या होने के कारण मुलजिमान से स्वंय की व परिवार की जान–माल की सुरक्षा तथा पैतृक कृषि भूमि व खेती की सुरक्षा के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत दिनांक 13.2.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट दिनांक 21.2.18 प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में "आवेदकगण द्वारा नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मय संलग्नक में ऐसा कोई साक्ष्य/तथ्य होना नहीं पाया गया है कि आवेदक को पुलिस थाने में जान से मारने के संबंध में मुकदमा दर्ज हो या किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई भय/खतरा हो। अतः आवेदकगण द्वारा कोई ठोस वजह प्रस्तुत न करने के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 16.06.2017 की पालना में निम्न आवेदन पत्रों ( अपीलांट सहित 7 आवेदन पत्र ) को निरस्त किया जाता है।" की टिप्पणी करते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनां 19.6.2017 से खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी । अभिभाषक अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब होना बताया है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट वास्ते समाअत अदालतवाला अन्दर मियाद्द स्वीकार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुरेश कुमार शर्मा का वरवक्त बहस मुख्य कथन है कि अपीलांट के पिता बीरबलराम की सन् 1983 में कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसका मुकदमा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 हनुमानगढ में चला, जिसमें मुलजिमान को दिनांक 13.8.1985 को सजा हुई है। इसी से रंजिश रखते हुए मुलजिमान से अपीलांट व उसके परिवार का जीवन संकटमय हो गया है। हर वक्त जान–माल के नुकसान का भय बना रहता है। अपीलांट की चक 7 व 2 एम डी में कृषि भूमि है जो मुलजिमान के गांव मुण्डा के पास पड़ने से उनको खेती करने में व मुलजिमान द्वारा घात लगाकर हमला करने का भय सदैव बना रहता है। इसी के मध्यनजर अपीलांट ने अपने व अपने परिवार व पैतृक संपतियों की सुरक्षा के लिये अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन किया था जिसे बिना किसी माकूल वजह के एकतरफा तौर पर बिना साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने भी अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने व्यापक़ लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को मध्यनजर रखते हुए तथा अपीलांट के पिता की हत्या से अपीलांट और मुलजिमान के मध्य पैदा हुई रंजिश के कारण गंभीर वारदात की आशंका को देखते हुए हथियारों के दुरूपयोग की संभावना के मध्यनजर ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पुलिस की रिपोर्ट का व्यापक अध्ययन नहीं किया है। पुलिस की समस्त रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। बल्कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 187 दिनांक 21.02.2018 में अपीलांट को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

"नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने की अनुशंषा की जाती है," का उल्लेख किया है, जिसके साथ थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ टाउन एवं बीट प्रभारी की विस्तृत प्राप्त हुई है, जो अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पर उपलब्ध है। पुलिस रिपोर्ट में अपीलान्ट को नया शस्त्र लाइसेंस दिये जाने की अनुशंषा की गयी है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ की रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में होना बताया है, जो अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट भी है। अपीलांट का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है।

7. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने हथियार के दुरुपयोग की सम्भावना के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना बताया है, जो उचित नहीं है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा आदेश पारित करते समय अपीलान्ट की पत्रावली का गहनता से अध्ययन व मनन नहीं किया गया, जबकि अपीलान्ट के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सात आवेदकों के कॉमन आदेश जारी किये गये हैं, जो इकतरफा है व स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत प्राप्त की गयी पुलिस रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर